न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –77 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016 / 00198

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

अशोक कुमार सांवला आत्मज फूलचन्द महाजन निवासी फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 09 / 09 / 2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 3.23 हे0 भूमि दिनांक 18.08.1987 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2 प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट बृजेश जोशी का वकालतनामा पेश हुआ । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3 पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 3.23 हे0 भूमि दिनांक 18.08.1987 को निजी वन विकास हेतु आवंटन की गई थी । मौके पर भूमि पड़त पड़ी होने व कब्जा नहीं होने से आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है, साथ ही वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिस अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में रिको लिमिटेड क्षैत्र लि0 कोटा के नाम दर्ज रेकार्ड है ।

4 हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर की आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 3.23 हे0 भूमि दिनांक 18.08.1987 को निजी वन विकास हेतु आवंटन की गई थी, मौके पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है तथा मौके पर पड़त है । उक्त आवंटन अस्थाई आवंटन था । जमाबंदी संवत 2068–2071 में उक्त भूमि अशोक कुमार सांखला पुत्र फूलचन्द सा. देह गैर खातेदार महाजन लीज 25 वर्ष के नाम से दर्ज है किन्तु वर्तमान जमाबंदी संवत 2080 में उक्त भूमि रिको लिमिटेड क्षैत्र कोटा हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रेकार्ड है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्ये पाते है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

5 परिणामस्वरूप ग्राम फतेहपुर की आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 3.23 हे0 भूमि दिनांक 18.08.1987 को निजी वन विकास हेतु आवंटन की गई थी जो वर्तमान में रिको लिमिटेड क्षैत्र कोटा हिस्सा पूर्ण संस्था के नाम दर्ज खाता होने से प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) मेन्टेनेबल नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

6 निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा